

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 1972/भाष 20, 1893

No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 1972/MAGHA, 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th February 1972

No. DRAWBACK/PN-9/72.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-2, published in Part I, Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 22nd October, 1971:—

- (1) in amendment No. 5, for the words and figures "Sub-serial numbers 2611 and 2711 and 2712 shall be renumbered as Sub-serial Nos. 2722, 2723, 2724 and Serial numbers 2611, 2612, 2613, 2614 and 2615 shall be renumbered as Sub-serial numbers 2621, 2622, 2623, 2624 and 2625."
- (2) in amendment No. 6, for the words and figures "renumbered Sub-serial No. 2622" read "renumbered sub-serial No. 2625".
- (3) in amendment No. 6, for the figures "2623", and "2624" appearing under the Column 'Sub-Serial No.' read "2626" and "2627" respectively.

- (4) in amendment No. 8, for the words and figures "Sub-Serial Nos. 2709, 2710, 2711 and 2712 shall be renumbered as Sub-serial Nos. 2722, 2723, 2724 and 2725" read "Sub-serial Nos. 2709, 2710, 2711, 2712 and 2713 shall be renumbered as sub-serial Nos. 2722, 2723, 2724, 2725 and 2726".

B. N. RANGWANI,

Jt. Director.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1972

सं० प्रति प्रदायगी (पी० एन०)-9/72.-भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 22 अक्टूबर, 1971 के भाग 1, खंड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-2 में-

(1) संशोधन सं० 5 में, "उप-क्रमांक 2611 तथा 2612 को उप-क्रमांक 2621 तथा 2622 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा" शब्दों एवं अंकों के लिए "उप-क्रमांक 2611, 2612, 2613, 2614, तथा 2615 को उप-क्रमांक 2621, 2622, 2623, 2624 तथा 2625 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा" पढ़ा जाये।

(2) संशोधन सं० 6 में, "पुनर्संख्यांकित उप-क्रमांक 2622" शब्दों तथा अंकों के लिए "पुनर्संख्यांकित उप-क्रमांक 2625" पढ़ा जाये।

(3) संशोधन सं० 6 में, कालम 'उप-क्रमांक' के अन्तर्गत प्रयुक्त "2623" तथा "2624" अंकों के लिए क्रमशः "2626" तथा "2627" पढ़ा जाये।

(4) संशोधन सं० 8 में, "उप-क्रमांक 2709, 2710, 2711 तथा 2712 को उप-क्रमांक 2722, 2723, 2724 तथा 2725 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा" शब्दों तथा अंकों के लिए "उप-क्रमांक सं० 2709, 2710, 2711, 2712 तथा 2713, को उप-क्रमांक 2722, 2723, 2724, 2725 तथा 2726 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा" पढ़ा जाये।

बी० एन० रंगवानी,

संयुक्त निदेशक, प्रतिप्रदायगी।